

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयन विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयन विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.पि.पि / सम्बद्धता / 01-(एक) / 2017 /
दिनांक :

3250

०१-११-१८

सेवा नं.

प्रबन्धक,
श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय
नगरकोट्र, जीयनपुर, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, बनस्पति विज्ञान व मणित विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-०-२०१४-२(३७)/२०१४, दिनांक-०१ अगस्त, २०१४ जिसके द्वारा रैकिक सत्र २०१४-१५ से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संवालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संस्थान) अधिनियम २०१४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-१४ सन् २०१४) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की घास ३७ (२) के परन्तु के अदीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्णानुभवि दिये जाने के उपर्यन्थ को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय नगरकोट्र, जीयनपुर, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, बनस्पति विज्ञान व मणित विषयों में स्वदित्तपोषित योजनान्वयन शैक्षिक रात्र २०१६-१७ के परिकाल के अभाव में दिनांक-०१.०७.२०१७ से संक्षिक सत्र २०१७-१८ हेतु निम्नलिखित शर्तों के अदीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

१. रैकिक सत्र २०१६-१७ का परीकाफल शासनादेश के अनुसार होने, महाविद्यालय सामूहिक नकल में आयोगित न होने, तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र २०१७-१८ के सम्बद्धता की सशर्त पूर्णानुभवि के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की दिना किसी शर्त के पूर्णानुभवि मानते हुए दिनांक-०१.०७.२०१७ से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्माता किये जायें।
२. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक-०२ जुलाई, २००३ में उलिखित सुरक्षात दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्वत अथ शासनादेशों का पालन करें।
३. शासनादेश संख्या-५२६७/७०-२-२००५-२(१६६)/२००२ दी.री., दिनांक-१६.११.२००५ एवं शासनादेश संख्या-५१२५/७०-२-२००५-२ (१६६) २००२, दिनांक-२१.१०.२००५ में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
४. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का नियकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समर्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं दोत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिपर्य प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
५. रिट भायिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक-२०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्माता शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२, दिनांक-३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
६. यदि संख्या द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता घासात लिए जाने की कार्रवाही नियमानुसार की जायेगी।
७. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की क्रोई त्रुटि एवं तथ्य-गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त रामझी जाएगी।
८. शासन के पत्र संख्या-१२/२०१५/४५०/सत्तर-२०१५-१६ (३३)/२०१५, दिनांक-१२ जून, २०१५ में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
९. उच्च सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, एन बी सी, प्रमाण-पत्र, अन्वितमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अदीन होगी।
१०. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
११. बिना सम्बद्धता प्राप्त किये अगले शैक्षिक सत्र अर्थात् ०१ जुलाई २०१८ से प्रथम वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. संविध, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ००३० इलाहाबाद।
३. दोत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
४. उपकुलसचिव शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
५. परीक्षा नियंत्रक/अतिगोपनीय/परीक्षा विभाग।
६. ट्रिनिकल रोल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मवदीय
२५/८/१८
कुलसचिव

कुलसचिव